

  
आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
विकास आयुक्त का कार्यालय  
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र  
नोएडा-दादरी रोड, फेज-2, नोएडा - 201305 (उत्तर प्रदेश)  
दूरभाष (जोन कार्यालय): 0120 - 2567268-70 (3 लाइनें), फैक्स: 2562314, 2567276  
ईमेल <dc@nsez.gov.in>; वेबसाइट: www.nsez.gov.in

फा०सं०.10/06/2022-SEZ/

11416  
14/02/2024

दिनांक : 14/02/0024

सेवा में,

(ई मेल के माध्यम से)

1. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110001।
2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली - 110002।
3. आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, इनलैंड कंटेनर डिपो, तिलपता, दादरी, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश - 201306.
4. प्रधान आयुक्त, आयकर, प्लॉट सं- ए-2 डी, आयकर भवन, सेक्टर - 24, नोएडा।
5. उपसचिव आई एफ - 1, बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर - 6, नोएडा (उत्तर प्रदेश)।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं 01, नॉलेज पार्क -4, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, (उत्तर प्रदेश)।
8. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश)।
9. उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण, कालिन्दी कुञ्ज, जी टी रोड, खुर्जा - 203131 (उत्तर प्रदेश)।
10. संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता।

विषय: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री ए० बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की दिनांक 01/02/2024 को पूर्वाह्न 10:00 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।


महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री ए० बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की दिनांक 01/02/2024 को पूर्वाह्न 10:00 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

संलग्नक : उपरोक्त

प्रतिलिपि:-

1. सम्बंधित निर्दिष्ट अधिकारी।

भवदीय,  
  
14/2/2024  
(राजेश कुमार)  
उप विकास आयुक्त

## नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

**श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में 01.02.2023 को सुबह 10:00 बजे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का विवरण।**

बैठक में अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

- i. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
  - ii. श्री एस.के. राव, सीमा शुल्क अधीक्षक, नोएडा।
  - iii. श्री मयंक, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा।
  - iv. श्री जगदीश चंद्र, एफटीडीओ, कार्यालय विदेश व्यापार महानिदेशालय, सीएलए, नई दिल्ली।
  - v. श्री नीरज कुमार, आयकर अधिकारी, नोएडा।
- इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी (ii) श्री राजेश कुमार, उप विकास आयुक्त, (iii) श्री प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त; (iv) श्री प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त और (v) श्री सुनील गुलयानी, आशुलिपिक/संबंधित कर्मचारी भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।
  - प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद क्रमवार कार्यसूची पर विचार किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए:-

### **1. दिनांक 04.01.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-**

क्योंकि 04.01.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, 04.01.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई थी।

### **मद संख्या 2: नई इकाई की स्थापना का प्रस्ताव।**

#### **2.1 मेसर्स एक्सीलेंट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (अर्शिया विशेष आर्थिक क्षेत्र)**

2.1.1 मेसर्स एक्सीलेरेट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड, बहु क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र, गांव इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, जिला बुलन्दशहर (उ.प्र.) में एक इकाई स्थापित करने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत एचएस कोड के साथ 35 वस्तुओं की सूची के तहत वस्तुओं के लिए " भंडारण, पैकिंग, पुनः पैकिंग, लेबलिंग, पुनः-लेबलिंग, माल की गुणवत्ता जांच और परीक्षण की एकीकरण सूची" करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। आवेदक ने पांच वर्षों की अवधि में 1369.10 लाख रुपये के निर्यात और 1137.02 लाख रुपये के संचयी निवल विदेशी मुद्रा का अनुमान लगाया है। आवेदक ने विशेष आर्थिक क्षेत्र में 464.52 वर्ग मीटर (5000 वर्ग फीट) की जगह के लिए सहमति पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की, जो विकासक द्वारा दिनांक 05.12.2023 के पत्र के माध्यम से जारी किया गया था।

2.1.2 निम्नलिखित दस्तावेज़/जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है जो आवेदक को सूचित कर दिया गया है:-

- i. आवेदक को विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18(5) के तहत अनुमत गतिविधियों के अनुसार, फॉर्म-एफ के पैरा v में मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र में किए जाने वाले प्रस्तावित अधिकृत

**सुरेंद्र मलिक**

- संचालन/गतिविधियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। प्रस्तावित एचएस कोड/वस्तुओं की सूची भी अलग से देना होगा।
- ii. पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन के लिए आईएनसी-22 की प्रति।
  - iii. आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में आवेदन की तिथि 05.01.2024 के स्थान पर 02.01.2024 अंकित की गयी है।
  - iv. जेएनपीए-विशेष आर्थिक क्षेत्र में मौजूदा मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र इकाई के स्वीकृति पत्र की प्रति।
  - v. दोनों निदेशकों की नियुक्ति के लिए डीआईआर-12 की प्रतियां।
  - vi. कंपनी की लेखा परीक्षित तुलन पत्र की प्रतियां जमा करना आवश्यक है।
  - vii. आवेदक कंपनी का सीए प्रमाणित वर्तमान शेयरधारिता स्वरूप।
  - viii. परियोजना विवरण में, विकासक को किराये की राशि को विदेशी मुद्रा व्यय के रूप में दिखाया गया है। इसलिए, आवेदक को यह स्पष्ट करना होगा कि विकासक को किराये का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाना है या भारतीय रुपये में।
  - ix. 67 सेवाओं की डिफॉल्ट सूची के अनुसार विवरण देते हुए 232.08 लाख रुपये की प्रस्तावित आयातित इनपुट सेवाओं की सूची।
  - x. आयकर विभाग के संबंध में विवरण।

2.1.3 हालाँकि, आवेदक में से कोई भी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए, समिति ने प्रस्ताव को स्थगित करने का निर्णय लिया और आवेदक से उपरोक्त दस्तावेज प्राप्त करने का निर्देश दिया।

### **मद संख्या 3: सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव:**

#### **3.1 मेसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, विकासक**

3.1.1 श्री अमूल गुप्ता, वीपी-निगमित मामले और श्री बी.डी जोशी, एजीएम, मेसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, विकासक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया।

3.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्लॉट नंबर 8, सेक्टर-144 नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अपने आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में अधिकृत संचालन के लिए मेसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, विकासक द्वारा प्रस्तावित सामग्रियों की सूची को मंजूरी दे दी: -

क्र.सं.	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
I.	सड़क पर स्ट्रीट लाइटिंग, सिग्नल और संकेत।	01	11.70
II.	जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, तूफान जल नालियां और उचित क्षमता के जल चैनल।	02	90.28
III.	ठोस और तरल अपशिष्ट संग्रह, उपचार और निपटान संयंत्र जिसमें पाइपलाइन और मल और कचरा निपटान के लिए अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे, मल उपचार संयंत्र शामिल हैं।	03	106.7

**सुरेंद्र मलिक**

क्र.सं.	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
IV.	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण संजाल (Network) जिसमें उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सबस्टेशन, पाइपलाइन संजाल (Network) आदि शामिल हैं	04	439.58
V.	छिड़काव, आग और धुआं संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली।	07	264.59
VI.	भूनिर्माण और जल निकास।	08	76.38
VII.	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	1198.31
VIII.	इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	2786.22
IX.	बिजली (पावर बैकअप सुविधाओं सहित) केवल बंदी उपयोग के लिए।	23	681.11
X.	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली।	24	653.67
		<b>कुल</b>	<b>6308.54</b>

3.1.3 यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

### 3.2 मैसर्स इंफोसिस लिमिटेड, विकासक

3.2.1 श्री श्याम सुंदर लक्ष्मीनारायण, क्षेत्रीय प्रमुख - इंड्रास्ट्रक्चर और श्री राजेश रुनवाल, मैसर्स इंफोसिस लिमिटेड के सहयोगी प्रबंधक, विकासक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया।

3.2.2 समिति द्वारा पूछे जाने पर, विकासक के प्रतिनिधि ने 'एलओटी' शब्द की व्याख्या की और बताया कि बिल की मात्रा (बीओक्यू) में परियोजना के लिए कई खरीद आदेश हैं। उदाहरण के लिए, डीजी सेट्स में और सहायक उपकरण का अर्थ है केबल, अलग-अलग माप वाले तार, निकास पाइप से जुड़े सामानों से भरा हुआ, इसका मतलब न केवल डीजी सेट है बल्कि उनके अनुप्रयोग में 'इकाई' के रूप में है और कहा गया है कि ढांचागत सुविधा स्थापित करने के लिए, वे पूरे विशेष आर्थिक क्षेत्र में विद्युतीकरण, स्वच्छता, इंटरनेट सुविधा आदि पर काम करने की जरूरत है और इस उद्देश्य के लिए उन्हें हजारों प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता है। उनके पास प्रत्येक सूची में सैकड़ों वस्तु हो सकते हैं। वे सारी चीजों को एक साथ ढेर सारे स्थान पर रखते हैं। फायर अलार्म प्रणाली और अग्नि सुरक्षा प्रणालियों के मामले में भी, उनके पास पैनल, संसूचक, केबल, मिमी, वर्ग मीटर, संख्या आदि में छोटी वस्तुएं होती हैं और प्रणाली की कई छोटी वस्तुएं माप की विभिन्न इकाइयां एक साथ आती हैं - सामग्रियों का गुच्छा एक संपुट।

3.2.3 समिति ने माल का विवरण उपलब्ध कराने की इच्छा व्यक्त की। विकासक ने कहा कि वे अपने अगले प्रस्तुतीकरण में यथासंभव वस्तुओं का विवरण प्रदान करने का प्रयास करेंगे।

सुरेंद्र मलिक

3.2.4 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्लॉट नंबर ए-01 से ए-06, सेक्टर-85, नोएडा (उ.प्र.) में अपने आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में अधिकृत संचालन के लिए मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड, विकासक द्वारा प्रस्तावित सामग्रियों की सूची को मंजूरी दे दी:-

क्र.सं.	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
I.	छिड़काव, आग और धुआं संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली।	07	1600.00
II.	जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, तूफान जल नालियां और उचित क्षमता के जल चैनल।	02	120.00
III.	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	2900.00
IV.	इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	6942.00
V.	बिजली (पावर बैकअप सुविधाओं सहित) केवल बंदी उपयोग के लिए।	23	2770.00
VI.	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली।	24	2510.00
		<b>कुल</b>	<b>16842.00</b>

3.2.5 यह अनुमोदन विकासक द्वारा 'लॉट' के तहत प्रस्तावित प्रत्येक वस्तु के मात्रा-वार विवरण प्रस्तुत करने के अधीन है। अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

### 3.3 मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, विकासक

3.3.1 मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोगी निदेशक, विकासक श्री विनोद सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया।

3.3.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्लॉट नंबर 3 ए, 3 बी और 2 सी, सेक्टर-126, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अपने आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत संचालन करने के लिए मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, विकासक द्वारा प्रस्तावित सामग्रियों की सूची को मंजूरी दे दी: -

क्र.सं.	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
I.	सड़क पर स्ट्रीट लाइटिंग, सिग्नल और संकेत।	01	12.50
II.	जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, तूफान जल नालियां और उचित क्षमता के जल चैनल।	02	23.00
III.	बिजली (पावर बैकअप सुविधाओं सहित) केवल बंदी उपयोग के लिए।	23	458.90

सुरेंद्र मलिक

क्र.सं.	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
IV.	इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	487.77
V.	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	593.93
VI.	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली।	24	26.94
VII.	छिड़काव, आग और धुआं संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली।	07	445.03
VIII.	दूरसंचार और इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित अन्य संचार सुविधाएं।	05	415.59
		<b>कुल</b>	<b>2463.66</b>

3.3.3 यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

### 3.4 मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, विकासक

3.4.1 मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, विकासक ने प्लॉट नंबर 3ए, 3बी और 2सी, सेक्टर-126, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत संचालन के तहत घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से 'प्रशीतक गैस' की शुल्क मुक्त खरीद की मंजूरी के लिए एक और प्रस्ताव प्रस्तुत किया है: -

क्र.सं.	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
I.	प्रसंस्करण क्षेत्र की वातानुकूलन। i. आर-22 प्रशीतक (एचएसएन 29037100) ii. आर-407सी प्रशीतक (एचएसएन 38276400) iii. आर-410ए प्रशीतक (एचएसएन 38276300) iv. आर-32 प्रशीतक (एचएसएन 29034200)	21	45.43

3.4.2 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 62/2015-2020 दिनांक 23.03.2022 के अनुसार, एचएस कोड 29034200, 38276300 और 38276400 निर्यात के लिए 'प्रतिबंधित' हैं। हालाँकि, एचएस कोड 29037100 उक्त अधिसूचना दिनांक 23.03.2022 की प्रतिबंधित सूची में नहीं है। विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 27(1) के प्रावधान के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासक या इकाई को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा 'प्रतिबंधित' वस्तुओं की आपूर्ति के लिए

**सुरेंद्र मलिक**

अनुमोदन बोर्ड की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। तदनुसार, एचएस कोड 29034200, 38276300 और 38276400 के तहत वस्तुओं की खरीद का प्रस्ताव विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड को भेज दिया गया था।

3.4.3 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र के 'प्रसंस्करण क्षेत्र की वातानुकूलन' नामक अधिकृत संचालन को जारी रखने के लिए घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से "आर-22 प्रशीतक - एचएसएन 29037100" की शुल्क मुक्त खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

### 3.5 मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड, विकासक

3.5.1 मेसर्स कोरॉर्ज लिमिटेड के डिविजनल मैनेजर, विकासक श्री मुकेश चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया।

3.5.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित अधिकृत संचालन को जारी रखने के लिए मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड, विकासक द्वारा प्रस्तावित सामग्रियों की सूची को मंजूरी दे दी: -

क्र.सं.	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
I.	इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	166.43
II.	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण संजाल (Network) जिसमें उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सबस्टेशन, पाइपलाइन संजाल (Network) आदि शामिल हैं	04	83.30
III.	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	22.50
IV.	छिड़काव, आग और धुआं संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली।	07	26.80
V.	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली।	24	177.10
VI.	प्रसंस्करण क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए कैफेटेरिया/कैंटीन।	27	28.91
		<b>कुल</b>	<b>505.04</b>

3.5.3 यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

### मद संख्या 4: इकाई के एलओए में उत्पादों को शामिल करने का प्रस्ताव:-

#### 4.1 मैसर्स सिंडिकेट इनोवेशन इंटरनेशनल लिमिटेड।

4.1.1 कंपनी सचिव सुश्री अर्चना मिश्रा और मेसर्स सिंडिकेट इनोवेशन इंटरनेशनल लिमिटेड के आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधक श्री सौरभ अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। प्रतिनिधियों ने बताया कि ये मुख्य रूप से कपड़े के सामान थे जिन्हें घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में विनिर्माण इकाइयों से खरीदा जाएगा और साथ ही जर्मनी और अन्य देशों से आयात किया जाएगा। प्रस्तावित माल रूस को निर्यात किया जाना था।

सुरेंद्र मलिक

4.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स सिंडिकेट इनोवेशन इंटरनेशनल लिमिटेड के अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड बहु-सेवाएँ विशेष आर्थिक क्षेत्र ग्राम-इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, खुर्जा, जिला-बुलंदशहर (उ.प्र.) में स्थित इकाई के संबंध में दिनांक 25.01.2018 के एलओए में निम्नलिखित वस्तुओं को शामिल करने को मंजूरी दे दी:-

क्र.सं.	एचएस कोड	इकाई द्वारा दिए गए वस्तु का विवरण	आयात एवं निर्यात नीति शर्तें डीजीएफटी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
1	9026	शीर्ष 9014, 9015, 9028 या 9032 के उपकरणों और उपकरणों को छोड़कर, तरल पदार्थ या गैसों के प्रवाह, स्तर, दबाव या अन्य चर (उदाहरण के लिए, प्रवाह मीटर, स्तर गेज, मैनोमीटर, गर्मी मीटर) को मापने या जांचने के लिए उपकरण और उपकरण।	आयात और निर्यात के लिए निःशुल्क।
2	8205	हाथ उपकरण (ग्लेज़ियर हीरे सहित), अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं; दीपक फूंकना; मशीन-टूल्स या वॉटर जेट कटिंग मशीनों के लिए सहायक उपकरण और भागों के अलावा, वाइस, क्लैप और इसी तरह की चीजें; निहाई; पोर्टेबल फोर्ज; फ्रेमवर्क के साथ हाथ या पैडल से चलने वाले ग्राइंडिंग व्हील।	आयात और निर्यात के लिए निःशुल्क।
3	7319	हाथ में उपयोग के लिए लोहे या स्टील की सिलाई सुई, बुनाई सुई, बोडकिन्स, क्रोकेट हुक, कढ़ाई स्टिलेटो और इसी तरह के लेख; सेफ्टी पिन और लोहे या स्टील के अन्य पिन, जो कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं।	आयात और निर्यात के लिए निःशुल्क।
4	7320	स्प्रिंग्स के लिए स्प्रिंग्स और पत्तियां, लोहे या स्टील की।	आयात और निर्यात के लिए निःशुल्क।
5	7325	लोहे या स्टील की अन्य ढली हुई वस्तुएँ।	आयात और निर्यात के लिए निःशुल्क।
6	6116	दस्ताने, दस्ताने और दस्ताना, बुना हुआ या क्रोकेटेड।	आयात और निर्यात के लिए निःशुल्क।
7	6110	जर्सी, पुलओवर, कार्डिगन, वास्कट और इसी तरह की वस्तुएं, बुना हुआ या क्रोकेटेड।	आयात और निर्यात के लिए निःशुल्क।
8	6109	टी-शर्ट, सिंगल और अन्य बनियान, बुना हुआ या क्रोकेटेड।	आयात और निर्यात के लिए निःशुल्क।
9	6103	पुरुषों या लड़कों के सूट, पहनावा, जैकेट, ब्लेज़र, पतलून, बिब और ब्रेस चौगा, ब्रीच और शॉर्ट्स (तैराकी पोशाक के अलावा), बुना हुआ या क्रोकेटेड।	आयात और निर्यात के लिए निःशुल्क।
10	4819	कागज, पेपरबोर्ड, सेल्यूलोज वेडिंग या सेल्यूलोज फाइबर के जाले के कार्टन, बक्से, केस, बैग और अन्य पैकिंग कंटेनर; कार्यालयों, दुकानों आदि में उपयोग किए जाने वाले कागज या पेपरबोर्ड की ऑक्स फाइलें, लेटर ट्रे और इसी तरह की वस्तुएं।	आयात और निर्यात के लिए निःशुल्क।

सुरेंद्र मलिक



4.1.3 यह अनुमोदन निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन है: -

- i. ऐसे उत्पाद जो विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत आयात और निर्यात के लिए "निषिद्ध/प्रतिबंधित" हैं, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ii. इकाई के अधिकृत संचालन का दायरा सख्ती से विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18(5) के अनुसार होगा।
- iii. विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18(5) के प्रावधानों के अनुसार सभी लेनदेन केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होंगे।
- iv. विदेश व्यापार महानिदेशालय अधिसूचनाओं/सार्वजनिक सूचना/समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार बंदरगाह प्रतिबंध लागू होंगे।
- v. इकाई को आयात/निर्यात के लिए संबंधित केंद्रीय/राज्य मंत्रालयों/विभागों और संबंधित प्राधिकारियों, यदि कोई हो, से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करनी होगी।

## 5. निदेशकों में परिवर्तन की सूचना

### 5.1 मेसर्स अर्शिया 3पीएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड-निदेशकों में बदलाव।

5.1.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद ग्राम-इब्राहिमपुर जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, खुर्जा जिला-बुलंदशहर (यूपी), वाणिज्य विभाग के निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 में निर्धारित सुरक्षा उपायों के अनुपालन के अधीन में अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड बहु-क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित अपनी इकाई के संबंध में मेसर्स अर्शिया 3पीएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में निम्नलिखित बदलावों पर ध्यान दिया: -

पिछले निदेशक	वर्तमान निदेशक
1. श्री नवनीत चौधरी	1. श्री नवनीत चौधरी
2. श्री प्रमोद राघवन (16.08.2021 को इस्तीफा)	2. श्री सर्वोत्तम शेटी (11.11.2019 से)
	3. श्री महेश गजानन म्हात्रे (28.09.2023 से)

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

**सुरेंद्र मलिक**  
(सुरेंद्र मलिक)  
संयुक्त विकास आयुक्त

**ए. बिपिन मेनन**  
(ए. बिपिन मेनन)  
विकास आयुक्त